जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

33/14

A3

13

मुन्तकिली प्रकरण सं0 33/2014 1–कृष्णादेवी पुत्री गुराया राम जाति ओड़ राजपूत निवासी हाल खूंजा तहसील व जिला हनुमानगढ़ 2– फकीरचंद बनाम 1–हरीसिंह पुत्र मितसिंह जाति जटसिख निवासी नूरपुरा ढाणी तहसील सादुलशहर 2–भगवानदास 3– इन्द्रजीत 4–शांतिदेवी 5–सुभाष 6–मनफूल 7–हरफूल 8–रानी सभी जाति ओड राजपूत निवासी हाल खूंजा तहसील व जिला हनुमानगढ

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

16.06.2015

प्रार्थीगण के अभिभाषक श्री राजन कुक्कड उपस्थित है। अप्रार्थी हरीसिंह के अभिभाषक श्री बलकरन सिंह उपस्थित है। दोनो पक्षो की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी हरीसिंह के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में लंबित वाद संख्या 66/2014 हरीसिंह बनाम गुराया राम में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र खारिज किया जावे।

इसके विपरीत प्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि उक्त आधार पर उनका मुन्तकिल प्रा0 पत्र खारिज किया जाता है तो उनको कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण ने यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सादुलशहर में लंबित वाद संख्या 66/2014 हरीसिंह बनाम गुराया राम में न्याय न मिलने की संभावना व्यक्त कर प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और नये पीठासीन अधिकारी उपस्थित हो गये है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का यह मुकदमा मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 16.06.2015 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी.सी.किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर